उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग,
संख्या-12 /2015/633/92-2015-89डब्लू/2014,
दिनांक: लखनऊ: 06 फरवरी, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-कानपुर नगर में मा0 कांशीराम जी शहरी मलिन बस्ती समग्र विकास योजना से सम्बन्धित कार्यों की निविदाओं एवं डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना से संबंधित अनुबन्धों के गठन में अनियमित प्रक्रिया अपनाये जाने, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के पहले ही निविदा खोलने, वित्तीय नियमों की अवहेलना करने, जनपद-कानपुर के कार्यों में फर्जी पासबुक के आधार पर अनुबन्ध गठित किये जाने, जिसमें कुल रू0-26,31,000.00 की शासकीय क्षति अर्न्तनिहित होने आदि अनियमितताओं के लिए प्रथमदृष्टया दोषी पाये जाने के कारण श्री जयराम, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4031/92-2012-03(जॉच)/2012, दिनांक 08 नवम्बर, 2012 द्वारा निलम्बित करते हुए उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में अपचारी कार्मिक श्री जयराम पर स्थापित आरोपों के परिप्रेक्ष्य में मा0 लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-11/1946/92-2012-03(जॉच)/2012, दिनांक 09 मई, 2014 द्वारा निलम्बन समाप्त करते हुए श्री जयराम को निम्नलिखित दण्ड के साथ सेवा में बहाल कर कार्यालय मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी क्षेत्र) ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध किया गया :-

(1) शासकीय क्षति रू0-14,56,000.00 (रूपये चौदह लाख छप्पन हजार मात्र) की श्री जयराम से नियमानुसार वसूली किया जाय।

(2) श्री जयराम को अधीक्षण अभियंता के पद से अधिशासी अभियंता के पद पर अवनति (Reduction) किया जाय, तथा

(3) श्री जयराम को परिनिन्दा (Censure) का दण्ड दिया जाय। उक्त परिनिन्दा वर्ष 2014-15 के लिए मानी जायेगी।

2- उक्त दण्डादेश दिनांक 09 मई, 2014 के विरूद्ध याची श्री जयराम द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष रिट याचिका संख्या-34744/2014 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित रिट याचिका में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 11-7-2014 का क्रियात्मक/संगत अंश निम्नवत हैं:-

"After hearing counsel for the petitioner as well as for the respondents. it is provided that operation of the impugned order dated 9-5-2014, shall remain stayed provided the petitioner deposits bank guarantee for a sum of Rs. 14,56,000/- whichis sought to be recovered from him, within a period of three weeks from today."

3- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त अन्तरिम आदेश दिनांक 11-7-2014 के अनुपालन में याची द्वारा निर्धारित समय-सीमा में रू0 14,56,000.00 की बैंक गारन्टी जमा न किये जाने पर अपने अन्तिम आदेश दिनांक 10-9-2014 से सम्बन्धित रिट याचिका को निरस्त करते हुए अन्तरिम आदेश दिनांक 11-7-2014 को अपास्त कर दिया गया।

4- याची श्री जयराम द्वारा पुन: रिट याचिका-34744/2014, जय राम बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित अन्तिम आदेश दिनांक 10-9-2014 के विरूद्ध योजित रिकाल प्रार्थना पत्र मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उक्त रिकाल प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई के उपरान्त अन्तरिम आदेश दिनांक 05-12-2014 पारित किया गया, जिसका क्रियात्मक अंश निम्नवत् है :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

"After hearing learned counsel for the parties and perusal of record we find that by order Dated- 10-9-2014 interim order passed by this court was vacated and the writ petition was Dismissed for not complying with the order dated 11-7-2014, which was passed staying the impugned order dated 09-5-2014 subject to the condition that the petitioner deposits Bank Guarantee for a sum of Rs. 14.56 lacs within a period of three weeks from the date of the order.

Since the petitioner has now complied with the order dated 11-7-2014, now it is in the interest of justice that the order Dated- 10-9-2014 be recalled and the petition be heard on merit.

Sri C.B. Yadav has no objection to the recall of the order.

the order Dated- 10-9-2014 is recalled the writ petition is restored to its original number and the order dated 11-7-2014 stands revived.

5- मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 05-12-2014 के अनुपालन में दण्डादेश दिनांक 09-05-2014 स्थगित हो जाने के संबंध में शासन के पत्र संख्या-5704/92-2014-89डब्लू/2014, दिनांक 12-01-2015 एवं पत्र संख्या-27रिट/92-2015-89डब्लू/2014टीसी, दिनांक 03-02-2015 द्वारा लोक सेवा आयोग से सहमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त के अनुक्रम में लोक सेवा आयोग द्वारा पत्र संख्या-136/05/ए0डी0सी0/एस0-12/2013-14, दिनांक 04-01-2015 के माध्यम से अपनी सहमति उपलब्ध करायी गयी है।

6- अत: रिट याचिका संख्या-34744/2014 जयराम बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 05-12-2014 के अनुपालन में याची के विरूद्ध निर्गत दण्डादेश संख्या-11/1946/92-2012-03(जॉच)/2012, दिनांक 09-05-2014 को एतद्द्वारा स्थगित किया जाता है।

7- दण्डादेश दिनांक 09-5-2014 के स्थगित हो जाने के फलस्वरूप याची श्री जयराम पूर्ववत अधीक्षण अभियंता, निलिम्बत समझे जायेंगे तथा कार्यालय मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी क्षेत्र) ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध रहेंगे।

8- उपर्युक्त आदेश रिट याचिका संख्या-34744/2014 जयराम बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अग्रतर/अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

कुमार कमलेश
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-12 /2015/633(1)/92-2015-तद्दिनांक-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
3- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य अभियंता, (पूर्वी/पश्चिमी) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- अनु सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-136/05/ए0डी0सी0/एस-12/2013-14, दिनांक 04-2-2013 के क्रम में मा0 आयोग के अवलोकनार्थ प्रेषिता
6- सम्बन्धित अधिकारी (नाम से) द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- गार्डफाइल/चरित्र पंजिका में रखने हेतु।

आज्ञा से,

मनिराम सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in